# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 60/2012

**अपीलान्ट**

समाकरण पुत्री श्री तोलाराम तत्नी श्री सुखराम जाति जाट निवासी खत्रीपुरा तहसील व जिला नागौर।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स**

1 भंवरसिह पुत्र तोलाराम (फौत) के कायम मुकाम
1/1 हनुमानराम पुत्र भंवरसिंह
1/2 कुलदीप पुत्र भंवरसिंह (फौत) के कायम मुकाम
1/2/1 अल्का पुत्री कुलदीप
1/2/2 दीपक पुत्र कुलदीप
1/2/3 दीपिका पुत्री कुलदीप
1/3 कमला पुत्री भंवरसिंह
1/4 सुगनाई पत्नी भंवरसिंह जातियान जाट
2 सुखराम पुत्र तोलाराम 3 गेनाराम पुत्र तोलाराम 4 लाल बहादुर पुत्र तोलाराम 5 घेवरी धर्मपत्नी तोलाराम जातियन जाटान निवासी साडोकण तहसील नागौर (फौत) 6 गंगा पुत्री तोलाराम पत्नी बाबुलाल जाति जाट निवासी सुरसागर जोधपुर 7 माया पुत्री तोलाराम पत्नी कनफूलसिंह जाट निवासी हनुमान बाग कॉलोनी नागौर 8 जमना पुत्री तोलाराम पत्नी प्रहलादराम जाट निवासी इसरनाडा तहसील खींवसर 9 जसोदा पुत्री तोलाराम पत्नी धनाराम जाट निवासी भगत की कोठी, जोधपुर 10 सरपंच ग्राम पंचायत गगवाना तहसील नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भगवानाराम सारस्वत अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 07 की ओर से।
3. श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04 व 08 की ओर से।

दिनांक 19.07.2024

## निर्णय

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) नागौर मौजा साडोकण के नामान्तरकरण सं. 299 निर्णय दिनांक 16.11.1992 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.04.2012 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.04.2012 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 07 की ओर से श्री भगवानाराम सारस्वत अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 04 व 08 की ओर से श्री राधेश्याम सांगवा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/3, 1/4, 6, 9 व 10 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की मृत्यु हो जाने तथा उनके कायम मुकाम रेकर्ड पर पहले से ही पक्षकार होने से रेस्पोंडेंट संख्या 05 घेवरी को प्रकरण से स्ट्राइक आउट किया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा साडोकण के नामान्तरण संख्या 299 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट ने अपनी बहस के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील गलत गेर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने के योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत गगवाना के क्षेत्राधिकार को प्रसंग होते हुए भी अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर नामान्तरकरण स्वीकार करने से भारी त्रुटि की है जिससे नामांतरकरण बिना क्षेत्राधिकार का होने से काबिल अपास्त किए जाने के योग्य है। यदि यह प्रकरण ग्राम पंचायत गगवाना के पास स्वीकृति हेतु जाता तो संपूर्ण ग्राम पंचायत के सदस्यगण हमारे परिवार एवं हमारे परिचित होने से तथा पूर्ण जांच करने में हम भी विधि व उतराधिकारी होने से हमारे नाम की जांच कर स्वीकार करती जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।



19/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)– पटवारी हल्का गगवाना ने किसी भी सदस्यों को विशेष कर मुझ अपीलांट व रेस्पो संख्या 6 व 9 के बारे में कोई जांच नहीं की व न ही जांच का प्रयास ही किया है। यदि इस तरफ थोडा भी ध्यान दिया जाता तो हमारे बारे में पटवारी हल्का को तथा तहसीलदारने भी विधि व उतराधिकारियों की जांच के बाबत कोई कतयी प्रयास तक नहीं किया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील काबिल खारिज किए जाने योग्य है।

{2}(IV) यदि यह ग्राम पंचायत गगवाना के समक्ष उपस्थित होकर हाजिर होते तो ग्राम पंचायत सदस्यगण एवं सरपंच जो प्रत्येक मतदाता के परिवार से पूर्ण रूप से वाकिफ व परिचित होता है एवं हिंदू उतराधिकारी कानून के तहत पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर हक प्राप्त है यह बात पटवारी, भू अभिलेख निरी. को तथा तहसीलदार नागौर को भी ज्ञान थी, परन्तु फिर भी तोलाराम की पुत्रियों होने के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रयास तक नहीं किया जिससे स्पष्ट तौर पर यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जान बूझ कर हमारे को वैधानिक विधिक अधिकारों से वचिंत करने के लिए गलत नामातंरकरण भराया है जो गलत होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है।

{2}(V) अपीलांट अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती है एवं नामान्तरकरण स्वीकार करने के बारे में किसी प्रकार की सूचना या नोटिस आदि नहीं दिया यानि यह निर्णय भी हमारी पीठ पीछे हुआ है। प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्त के अनुसार किसी भी आदेश को करने से पहले उससे प्रभावी होने वाले व्यक्ति को सुनने एवं सुनवाई का पूरा एवं उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं देने से भी यह निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

{2}(VI) अभी कुछ दिन पूर्व लालबहादूर के परिवार में विवाह समारोह में जाने पर अपीलांट माता घेवरी देवी एवं भाई गेनाराम के नहीं आने का कारण पूछा तो बताया कि खेतो का विवाद न्यायालय में होने से वे हमसे नाराज होने से विवाह समारोह मे नहीं आना बताया व विवाह समारोह निवृति के बाद में अपीलांट ने इस संबंध में पटवारी हल्का गगवाना से पूछताछ की तो फिर तारीख 15.03.2012 को इस हेतु नकल आवेदन दिया जो नकल तारीख 02.04.2012 को प्राप्त हुई एवं नकल प्राप्त करने के बाद में अपील पेश की गई। नामान्तरण संख्या 299 दिनांक 16.11.1992 जानकारी दिनांक 02.04.2012 के होने से अंदर मियाद शुमार अपील किए जाने के योग्य है। इससे पूर्व अपीलांट प्रार्थी को ऐसी कोई जानकारी नहीं होने से व 15.03.2012 को इस हेतु नकल आवेदन से व 2.4.12 को नकल प्राप्त होने से इन सभी तथ्यों की जानकारी होने से प्रकरण में गुजरी अवधि को क्षमा/ कण्डोन किया जाना विधि सम्मत् है।

{3}– वकील रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 व 07 ने अपनी बहस में बताया कि अपनीलांट ने यह अपील करीब 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो मियाद के बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 06 में पिता की सम्पति में पुत्रियों का अधिकार 2005 से लागू हुआ है जबकि नामान्तरकण 1992 में ही भरा गया था, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार भरा होने से यथावत कायम रहना चाहिए तथा अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012(1) पेज 350 से 358 नजीरे पेश की।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) नागौर मौजा साडोकण के नामान्तरकरण सं. 299 निर्णय दिनांक 16.11.1992 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। उक्त खेताय में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा निहित करता आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही नामान्तरकरण भरा जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ ट्रायल न्यायालय का यह दायित्व था कि वह पक्षकारों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करते एवं उभयपक्षों को समुचित सुनवाई कर विवाद के बिन्दु पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करते। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

19/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नागौर मौजा साडोकण के नामान्तरकरण सं. 299 निर्णय दिनांक 16.11.1992 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिक वारिसान की जांच कर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

19/7/24
अपर कलक्टर, नागौर